By Speed Post

## A-12018/07/2014-NTH.

Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Department of Consumer Affairs
\*\*\*\*\*\*

Gallery No.12/2, Jamnagar House Shahjahan Road, New Delhi – 110 011 Dated, the '11<sup>th</sup> January, 2017

To

The Director General National Test House, Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales – Amendment of Recruitment Rules for the post of Scientific Officers in National Test House.

Sir,

I am directed to enclose copy of Recruitment Rules for the post of Scientific Officers of various disciplines in National Test House duly notified in the in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.238 dated 10.12.2016 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website of **egazette.nic.in** in the name of this Ministry.

(D.K.Sonker)
Deputy Director (NTH)
Tel No.23073612
E-mail: d.sonker@nic.in

irs faithfully,

### Copy to:

- 1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
- 2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
- 43. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S.Heet, Under Secretary(RR).]
- 4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
- 5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
- 6. Guard files.



प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

#### WEEKLY

मं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938 No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोडकर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगें।
  - 3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा योग्यता आदि.— इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
  - 4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति
  - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पित अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

5470 GI/2016

	11			12			13
(a)	Promotion Private Secretary and Project Personal Secretary in Level-8 and/or in Level 9 in the Pay Matrix in the Department of Space with a minimum of 6 years service in the levels rendered after appointment thereto on regular basis.  Deputation		Additional Secretary, Department of Space	artmental	Promotion	Department exempt fro with the Service Com	of Space is m consultation Union Public
(b)	Suitable officers holding analogous posts or in Level-10 in the Pay Matrix with 8 years regular service in Central Government.  (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	3.	Secretary (Personnel) Department of Space Joint Secretary (Finance) Department of Space Scientific Secretary, ISRO	: Member			

[No. 2/9/1/2004-I] K.V. LAKSHMANA KUMAR, Dy. Secy.

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

- सा.का.िन. 238.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और बम्बई, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 1975 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके प्रादेशिक कार्यालयों में वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2.पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3.भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदिं-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4.निरर्हताएं: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. च्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

112 AT 3111	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	च्याच शशस	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
पद का नाम	पद सख्या	पंगाकरण		चयन अथवा	
			लेवल	अचयन पद	के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक	18* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
(विद्युत)	आधार पर		रूपये 47600-		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
1,00	परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय	151100/-		सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
	सकता है।)	-113.11111			शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
					के लाहौल और स्पीति जिले तथा
				i	चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:  (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रॉनिकस और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री; और	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष िटप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) किसी प्रयोगशाला में उन्नयन	इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन	का एक वर्ष का अनुभव अथवा	मोटर्स या स्विचिगियर्स या प्रकाश	और प्रकाशमापन या बैटरीज़ या	केबल या इलैक्ट्रिकल उपस्कर	इत्यादि जैसे इलैक्ट्रिकल स्टोर्स के	परीक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एक	वर्ष का अनुभव, भारतीय मानक	अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण	संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय	इलैक्ट्रोतकनीकी आयोग के मानदंडों	के अनुसार इलैक्ट्रिकल मापन यंत्र	एवं उपकरण के मापांकन का	अनभव।

अनुभवा

िटप्पण 1: अहंताएं, अन्यथा सुअहिंत
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए
जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

दिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहंता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने बाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की नहीं है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा	मंश्चना	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नितः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक
ऐसे वैज्ञानिक सहायक (विद्युत) जिन्होंने वेतन	1. निदेशक ग्रेड-॥ अथवा वैज्ञानिक 'डी',	सेवा आयोग से परामशे करना
मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	आवश्यक है।
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष   2. बैज्ञानिक सी (बिद्यत), राष्ट्रीय परीक्षण	2. वैज्ञानिक सी (विद्यत), राष्ट्रीय परीक्षण	
सेवा है।	शाला : सदस्य	
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन),	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, परीक्षण शाला	परीक्षण शाला : सदस्य	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	4. अवर सिचेव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	मामले विभाग : सदस्य	
किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	
गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या	1. निदेशक ग्रेड- ॥ अथवा वैज्ञानिक डी,	
पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष	राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	2. वैज्ञानिक सी (विद्युत), राष्ट्रीय परीक्षण	,
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	शाला : सदस्य	

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी अहंक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,

के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित बेतन आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेनन टे**प्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग संरचना का विस्तार किया गर्या है) नियमित मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा

विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में आधार पर समतुल्य धारण किए हुए हैं; अथवा नियमित

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के

जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके लिए विहित अहंताएं और अनुभव हो। 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय ; जो प्रोन्नति की सीक्षी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), (जिसके पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य की अवधि प्रतिनियुयक्ति अधिकारी, टिप्पण

टिज्जा 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 प्रयोजन

4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय : सदस्य परीक्षण शाला मामले विभाग

आधारित पुनर	ाक्षत वतन सरचना व	जावस्तार				
किया गया है)	नियमित आधार पर की	ो गई सेवा				
को, सिवाय उस	न दशा के, जहां एक से	अधिक पूर्व				
	निमान का वेतन मै					
साधारण लेवल	ा सहित एक श्रेणी में	विलय हो				1
गया है और वा	हां यह फायदा केवल उ	उस पद पर				
विस्तारित होग	ा जिसके लिए वेतन र	नैट्रिक्स का				
लेवल विना	किसी उन्नयन का	साधारण				
प्रतिस्थापन ग्रे	ड है उक्त वेतन ३	गयोग की				
सिफारिशों प	र आधारित विस्तार्ग	रेत वेतन			-	
मैट्रिक्स के तत	स्थानी लेवल पर की	गई सेवा				1
समझी जाएगी।						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.वैज्ञानिक	40* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
(कैमिकल)	आधार पर परिवर्तन	(राजपत्रित)	रूपये 47600-		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	151100/-		सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा
		9			सकती है।
					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी
					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
	~				लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई
				_	अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:  (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन अथवा माइक्रोबॉयोलॉजी में मास्टर डिग्री अथवा कैमिकल टैक्नॉलॉजी या कैमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; और  (ii) किसी विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव अथवा अनुसंधान एवं विकास कार्य अथवा अयस्क, खनिज, धातु अथवा तेल एवं ईंधन तथा विभिन्न जैविक एवं अजैविक उत्पाद अथवा पेंट एवं पॉलीमर सामग्री के विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के			

विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

#### (11)(12)(13)प्रोन्नति: समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: सीधी भर्ती करते समय ऐसे वैज्ञानिक सहायक (कैमिकल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स संघ लोक सेवा आयोग 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', के लेवल-7 रूपये 44900-142400/- में नियमित आधार पर से परामर्श करना राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा कि है। आवश्यक है। 2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्टीय परीक्षण टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक शाला : सदस्य या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी. अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। : सदस्य टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्टीय करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, परीक्षण शाला : सदस्य 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है। (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक

संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या

गई सेवा समझी जाएगी।

किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां

यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक अधिकारी (गैर-विध्वंसक)	08* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600- 151100/-	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:  (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री; और  (ii) किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में एक	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष िटप्पण: परिवीक्षा के रूप में, पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा प्रकल्पित और प्रायोजित दो	33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
वर्ष का अनुभव अथवा एक्स-रे विवर्तन या विफल इंजीनियरिंग सामग्री पर गैर-विध्वंसक तथा मैटलोग्राफी परीक्षण विधि द्वारा निरीक्षण कार्य में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		से चार सप्ताह का अनिवार्य अभिमुखी प्रशिक्षण।	

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

#### (11)(12)(13)समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: प्रोन्नति: सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से ऐसे वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक) जिन्होंने 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय वेतन मैटिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-142400/-परीक्षण शाला : अध्यक्ष परामर्श करना आवश्यक है। में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात दो वर्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की है। : सदस्य टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ मामले विभाग : सदस्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी. राष्टीय पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा : सदस्य पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि परीक्षण शाला : सदस्य 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मामले विभाग : सदस्य संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैटिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात 2 वर्ष नियमित सेवा है।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल विना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 4. वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल)	(८) 12* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(3) साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 रूपये 47600- 151100/-	(5) चयन	(6)  तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	जिसके न हो सकने पर
अथवा संस्थान से भौतिकी में		टिप्पण: परिवीक्षा के रूप में,	
मास्टर डिग्री अथवा मैकेनिकल		पद के कार्यों और	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
इंजीनियरिंग या धातुकर्म में डिग्री;		उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में	भी है, 50 प्रतिशत सीधी
और		राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा	भर्ती द्वारा।
(ii) मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में एक		प्रकल्पित और प्रायोजित दो	
र्वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्र में		से चार सप्ताह का अनिवार्य	
अनुसंधान एवं विकास का एक वर्ष का		अभिमुखी प्रशिक्षण।	
अनुभव।			
टिप्पण 1: अईताएं, अन्यथा सुअर्हित			
अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो			
लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			,
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों		,	
के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ लोक			
सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			
सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ			
लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके			
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने			
की संभावना नहीं है।			

#### (11)(12)(13)प्रोन्नति: समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: सीधी भर्ती करते समय संघ ऐसे वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल) जिन्होंने 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग से परामर्श वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-परीक्षण शाला करना आवश्यक है। 142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के 2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण पश्चात् दो वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय परीक्षण शाला अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां मामले विभाग : सदस्य उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी 1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से परीक्षण शाला : अध्यक्ष जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या : सदस्य पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा परीक्षण शाला : सदस्य की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मामले विभाग : सदस्य संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को

उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा

भिहे

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पिल्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।
  - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहेताएं और अनुभव हो।

विच्**षण 1:** पीषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोम्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोम्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) हारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिकन नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके विस्तारित वेतन प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) आधारित दशा के, जहां एक की सिफारिशों पर जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.वैज्ञानिक	08*(2016)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू नहीं होता
अधिकारी	(*कार्यभार के	समूह 'ख' (राजपत्रित)	लेवल-8		
(भौतिकी सिविल)	आधार पर परिवर्तन	अननुसचिवीय	रुपये 47600-		
	किया जा सकता है।)		151100/-		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

(44)	(12)	(12)
(11) प्रोन्नित:	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:	(13) सीधी भर्ती करते समय संघ
ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल)	समूह खापमागाय प्राप्नात सामात. 1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय	लोक सेवा आयोग से परामर्श
जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रूपये 44900-	परीक्षण शाला : अध्यक्ष	करना आवश्यक है।
142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के	2. वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण	
पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।	शाला : सदस्य	
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	परीक्षण शाला : सदस्य	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	मामले विभाग : सदस्य	
जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	
अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता	1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय	
सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से	परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	2. वैज्ञानिक सी (भौतिक सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण	
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या	शाला : सदस्य	
पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय	
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा	परीक्षण शाला : सदस्य	
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी	मामले विभाग : सदस्य	
		*
द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों		
पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार		
किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को		
उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की		
गई सेवा समझी जाएँगी।	*	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा		
भी है)		
केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ		
राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान		
संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और	,	
स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-		
(क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में		
नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण		
किए हुए हैं; अथवा	-	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में		
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर		
नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा की है।		
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती		
(अ) त्याम तर्व रवत्त (/) के अवति रवि नवि	L	

किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैटिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

		(2)		<b>75</b> \	(0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.वैज्ञानिक	07* (2016)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी (भौतिक	(* कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में लेवल-8		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों
रबड़ प्लास्टिक	आधार पर	(राजपत्रित)	रुपये 47600-		या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
कपड़ा)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	151100/-		पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
	जा सकता है।)	9/13/11/4			टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
	*				निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
					आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले
*					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान
ų.					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
					के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधे भर्ती किए	70 प्रतिशत प्रोन्नति
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं	जाने वाले	द्वारा जिसके न हो
भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री अथवा		व्यक्तियों के लिए	सकने पर प्रतिनियुक्ति
कैमिकल इंजीनियरिंग अथवा कपड़ा तकनीकी अथवा		दो वर्ष	द्वारा जिसके अंतर्गत
रबड़ तकनीकी अथवा प्लास्टिक तकनीकी अथवा		टिप्पण: परिवीक्षा	
पॉलीमर एवं रबड़ तकनीकी अथवा कैमिकल तकनीकी		के रूप में, पद के	भी है, 30 प्रतिशत
में डिग्री; और		कार्यों और	सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) कपड़ा अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा पेपर अथवा		उत्तरदायित्वों के	
चमड़ा और उनके उत्पाद के परीक्षण में कार्यरत प्रयोगशाला		क्षेत्र में राष्ट्रीय	
में एक वर्ष का अनुभव अथवा समवर्गी क्षेत्रों में अनुसंधान		परीक्षण शाला	
एवं विकास का एक वर्ष का अनुभव।		द्वारा प्रकल्पित और	
टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन		प्रायोजित दो से	
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के		चार सप्ताह का	
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		अनिवार्य अभिमुखी	
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध		प्रशिक्षण।	
किए जाएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब			
शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक			
सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को			
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के			2
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:	सीधी भर्ती करते समय संघ
ऐसे वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक	1. निदेशक ग्रेड-II अथवा वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय	लोक सेवा आयोग से
कपड़ा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 रुपये	परीक्षण शाला : अध्यक्ष	परामर्श करना आवश्यक है।
44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के	2. वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक	
पश्चात् दो वर्ष सेवा की है।	कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	)
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय	
अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	परीक्षण शाला : सदस्य	
विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब	मामले विभाग : सदस्य	
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	â
अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से अथवा दो	1. निदेशक ग्रेड- II अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय	
वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अईक	2. वैज्ञानिक सी (भौतिकी रबड़ प्लास्टिक	
या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर	कपड़ा), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	3. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	परीक्षण शाला : सदस्य	
टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की	4. अवर सचिव अथवा उप निदेशक, उपभोक्ता	
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी	मामले विभाग : सदस्य	
द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से		
जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर		
आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया		
गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन		
आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन		
मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी		
जाएगी।		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)		
केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य		

क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 2 वर्ष नियमित सेवा है।
  - (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स का लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/07/2014-एन.टी.एच.] डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938 No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि: 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करने हेतू निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्म.**—(1) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगें।
  - 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा योग्यता आदि.- इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
  - 4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति
  - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पित अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

5470 GI/2016

(1307)

### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

#### (Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 7th December, 2016

- G.S.R. 238.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta and Bombay, Scientific Officers Recruitment Rules, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Officers in the National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:—
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix. The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. The method of recruitment to the posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.- No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non- Selection Post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific Officer (Electrical).	18* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'B' (Gazetted), Non- Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600- 151100/	Selection.	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Macello

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifycations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled
			by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  (i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Electroical Engineering or Degree in Electronic Engineering or Degree in Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institute; and  (ii) One year's experience of advanced electrical or electronics measurements in a Laboratory or one year's experience in the field of testing and development of Electrical Stores like Motors or Switchgears or Lamp and Photometry or Batteries or Cables or Electrical Accessories etc. experience Calibration of Electrical measuring instruments and equipments as per Indian Standard or International	Age: No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits.  Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	50% by promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by direct recruitment.
Standardisation Organisation or International Electrotechnical Commission Norms.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification regarding			
experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:		Consultation with
Scientific Assistant (Electrical) with two	Group 'B' Departmental Promotion	Union Public Service
years' service in level 7 in the Pay Matrix	Committee :-	Commission necessary
Rs.44900-142400/-, rendered after	1. Director Grade II or Scientist 'D', National	while making direct
appointment there to on a regular basis.	Test House : Chairman	recruitment.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

#### Deputation(including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in

Scientist 'C' (Electrical), National Test
 House : Member
 Administrative Officer (Administration),
 National Test House : Member
 Under Secretary or Deputy Director,
 Department of Consumer Affairs : Member

## Group 'B' Departmental Confirmation Committee:

- 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Electrical), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration),
  National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director,
  Department of Consumer Affairs : Member

Alee.

the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by

2. Scientific	40* (2016)	General	Level	8 in	Select	ion.	Not excee	eding 30 years.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	)		(6)	
normal repla upgradation.	cement grade	without any							
benefit will e	xtend only for vel in the pay	the post(s) for							
	nto one grade w pay matrix, ar								
been merger	of more than o	ne pre-revised	7.0						
	d on the recomnission except w								
corresponding	level in the	pay matrix							
	ons has been e	xtended) shall							
Seventh C		Commission							
1st January, 20	16 (the date f	rom which the							
	sis, the service by an officer								
Note 2: For the	he purpose of a	ppointment on					- : 1		
the closing dat	e of receipt of a	pplications).							
shall be not e	xceeding fifty s	ix years as on							
deputation (in	cluding short	erm contract)					9.1		

(7)	(8)	(9)	(10)		
Essential:  (i) Master's Degree in Chemistry or Master's Degree in Microbiology or Degree in Chemical Technology or degree in Chemical Engineering from a recognised University or Institute; and  (ii) One year's experience in an	Age: No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits.  Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	50% by promotion failing which by Deputation including short term contract., 50% by direct recruitment.		

analytical or Chemical Testing Laboratory or one year's Experience of Research & Development work or analysis of ores, Minerals, metals or Oil & Fuel and various Organic and Inorganic products or paint or polymer materials. Note 1 : Oualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

#### (11)(12)(13)Consultation **Promotion:** with Scientific Assistant (Chemical) with Group 'B' Departmental Promotion Committee:-Union Public Service Commission necessary two years' service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered 1. Director Grade II or Scientist 'D', National Test while making direct after appointment there to on a regular House : Chairman recruitment. 2. Scientist 'C' (Chemical), National Test basis. Note 1: Where juniors who have House : Member 3. Administrative Officer (Administration), completed their qualifying or eligibility service are being considered National Test House : Member 4. Under Secretary or Deputy Director, Department for promotion, their seniors would also be considered provided they are of Consumer Affairs : Member not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of Group'B'Departmental Confirmation Committee: such qualifying or eligibility service, Director Grade II or Scientist 'D', National or two years, whichever is less, and : Chairman have successful completed their Test House Scientist 'C' (Chemical), National Test probation period for promotion to the next higher grade alongwith their House : Member Officer (Administration), juniors who have already completed Administrative : Member such qualifying or eligibility service. National Test House Deputy Director, Secretary or Note 2: For the purpose of computing Under minimum qualifying service for Department of Consumer Affairs: Member promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based the Seventh Central

Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

# Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
  - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held preceding immediately appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt applications).

Note2:For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on recommendations of Pay the Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Officer (Non – Destructive)	08* (2016) (*Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non-	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  (i) Master's Degree in Physics or Degree in Electrical Engineering or Degree in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institute; and  (ii) One year's experience in Nondestructive testing Laboratory or one year's experience in X-Ray Diffraction or investigation work on failure Engineering Material by Non-destructive and metallographic methods of testing.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the	Age: No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits.  Note: Mandatory Induction Training of two to four weeks as devised and sponsored by the National Test House in the field of duties and responsibilities of the post, as part of probation.	33% by promotion failing which by deputation (including short term contract), 67% by direct recruitment.
Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are			

relaxable at the discretion of the
Union Public Service Commission,
for reasons to be recorded in
writing in the case of candidates
belonging to Scheduled Castes or
Scheduled Tribes if at any stage of
selection the Union Public Service
Commission, is of the opinion that
sufficient number of candidates
from these communities possessing
the requisite experience are not
likely to be available to fill up the
vacancy reserved for them.

(11)

Promotion:
Scientific Assistant (Non-Destructive) with two Group

years regular service in level 7 in the Pay Matrix Rs.44900-142400, rendered after appointment there to on a regular basis.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successful completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

#### Deputation (including short term contract)

Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
  - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Group 'B' Departmental Promotion Committee:-

(12)

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- 2. Scientist 'C' (Non-Destructive),
  National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- Under Secretary or Deputy Director,
   Department of Consumer
   Affairs : Member.

# Group'B'Departmental Confirmation Committee:

- Director Grade II or Scientist 'D', National Test House : Chairman
- Scientist 'C' (Non-Destructive), National Test House : Member
- 3. Administrative Officer (Administration), National Test House : Member
- 4. Under Secretary or Deputy Director, Department of Consumer Affairs : Member.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific Officer (Mechanical).	12* (2016)  *Subject to variation dependent on work load.	General	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600-151100/	Selection.	Not exceeding 30 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No	Two years for direct	50 % by promotion
(i) Master's Degree in Physics or Degree in	Educational	recruits.	failing which by
Mechanical Engineering or Degree in	Qualification: No	Note: Mandatory	deputation
Metallurgy from a recognised University or		Induction Training of	including short
Institute; and		two to four weeks as	term contract., 50%
(ii) One year's experience in Mechanical		devised and sponsored	by direct
testing Laboratory or one year's experience in		by the National Test	recruitment.
Research and Development in allied field.		House in the field of	
Note 1 : Qualifications are relaxable at the		duties and	
discretion of the Union Public Service		responsibilities of the	V
Commission, for reasons to be recorded in		post, as part of	
writing, in the case of candidates otherwise		probation.	
well qualified.			
Note 2: The qualification(s) regarding		4.	
experience is or are relaxable at the discretion			1
of the Union Public Service Commission, for			
reasons to be recorded in writing in the case			
of candidates belonging to Scheduled Castes			
or Scheduled Tribes if at any stage of			
selection the Union Public Service			
Commission, is of the opinion that sufficient			
number of candidates from these	1		
communities possessing the requisite	** *		
experience are not likely to be available to fill			
up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with Union
Scientific Assistant (Mechanical) with two	Committee :-	Public Service
years' service in level 7 in the Pay Matrix	1. Director Grade II or Scientist 'D',	Commission necessary
Rs.44900-142400, rendered after	National Test House : Chairman	while making direct
appointment there to on a regular basis.	2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test	recruitment.
Note 1:Where juniors who have completed	House : Member	-
their qualifying or eligibility service are	3. Administrative Officer (Administration),	
being considered for promotion, their	National Test House : Member	
seniors would also be considered provided	4. Under Secretary or Deputy Director,	
they are not short of the requisite	Department of Consumer Affairs	_=
qualifying or eligibility service by more	: Member.	
than half of such qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Confirmation	
service, or two years, whichever is less,	Committee :-	
and have successful completed their	1. Director Grade II or Scientist 'D',	
probation period for promotion to the next	National Test House : Chairman	
higher grade alongwith their juniors who	2. Scientist 'C' (Mechanical), National Test	
have already completed such qualifying or	House : Member	
eligibility service.	3. Administrative Officer (Administration),	
Note 2: For the purpose of computing	National Test House : Member	5.05
minimum qualifying service for promotion,	4. Under Secretary or Deputy Director,	
the service rendered on a regular basis by	Department of Consumer Affairs	
an officer prior to 1st January, 2016 (the	: Member.	
date from which the revised pay structure		
based on the Seventh Central Pay		
Commission recommendations has been		
extended) shall be deemed to be service		
rendered in the corresponding level in the		
pay matrix extended based on the		
recommendations of the Pay Commission.		
Deputation (including short term contract	)	
Officers under Central or State		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Governments or Union Territory	1	
Administrations or Public Sector		

Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
  - (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.Scientific Officer( (Physical Civil ) .	08* (2016) *Subject to variation dependent on work load.		Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600- 151100/	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.

#### (11)(12)(13)Union Group 'B' Departmental Promotion with **Promotion:** Consultation Scientific Assistant (Physical - Civil) with two Public Service Commission Committee :years' service in level 7 in the Pay Matrix Director Grade II or Scientist 'D', not necessary. Rs.44900-142400/-,rendered after appointment National Test House: Chairman Scientist 'C' (Physical Civil), there to on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed National Test House : Member their qualifying or eligibility service are being Administrative Officer considered for promotion, their seniors would (Administration), National Test also be considered provided they are not short House : Member of the requisite qualifying or eligibility service Under Secretary or Deputy by more than half of such qualifying or Director, Department · of eligibility service, or two years, whichever is Consumer Affairs : Member. less, and have successful completed their probation period for promotion to the next B' Departmental Group higher grade alongwith their juniors who have **Confirmation Committee:**already completed such qualifying or eligibility 1. Director Grade II or Scientist 'D', service. Note 2: For the purpose of computing National Test House : Chairman 2. Scientist 'C' (Physical Civil), minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer National Test House : Member 3. Administrative Officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh (Administration), National Test Central Pay Commission recommendations has : Member House 4. Under Secretary or Deputy been extended) shall be deemed to be service Director, Department of Consumer rendered in the corresponding level in the pay : Member. Affairs matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies Statutory Organisations -(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and possessing the essential qualifications (b) and experience prescribed for direct recruits under Column 7. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration

for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 ( the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Officer (Physical Rubber Plastic Textile)	07* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' (Gazetted), Non- Ministerial.	Level 8 in the Pay Matrix Rs.47600- 151100/	Selection.	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(13)

(11)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No	Two years for	70% by promotion
(i) Master's Degree in Physics or Master's	Educational	direct recruits.	failing which by
Degree in Chemistry or Degree in Chemical	Qualification: No		deputation including
Engineering or Degree in Textile Technology or		Note: Mandatory	short term contract.,
Degree in Rubber Technology or Degree in		Induction Training	30% by direct
Plastic Technology or Degree in Polymer &		of two to four weeks	recruitment.
Rubber Technology or Degree in Chemical		as devised and	
Technology from a recognized University or		sponsored by the	
Institute; and		National Test House	
(ii) One year's experience in a Laboratory		in the field of duties	
engaged in the testing of Textile or Rubber or		and responsibilities	
Plastic or Paper or Leather and their products or		of the post, as part of	
one year's experience in Research and		probation.	
Development in the allied fields.			
Note 1: Qualifications are relaxable at the			
discretion of the Union Public Service			
Commission, for reasons to be recorded in			*
writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualification(s) regarding	4 X	100	
experience is or are relaxable at the discretion of			, ,
the Union Public Service Commission, for			
reasons to be recorded in writing in the case of			
candidates belonging to Scheduled Castes or			
Scheduled Tribes if at any stage of selection the			
Union Public Service Commission, is of the			
opinion that sufficient number of candidates			
from these communities possessing the requisite		- X	
experience are not likely to be available to fill up			
the vacancy reserved for them.		1	

#### Group 'B' Departmental Promotion Consultation with Union Promotion: Public Service Commission Committee :-Scientific Assistant (Physical Rubber Plastic Director Grade II or Scientist 'D', necessary while making Textile) with two years' service in level 7 in National Test House : Chairman direct recruitment. the Pay Matrix Rs.44900-142400/-, rendered Scientist 'C' (Physical Rubber after appointment there to on a regular basis. Plastic Textile), National Test Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being : Member House Officer Administrative considered for promotion, their seniors would (Administration), National Test also be considered provided they are not short House : Member of the requisite qualifying or eligibility Under Secretary or Deputy service by more than half of such qualifying Director, Department of Consumer or eligibility service, or two years, whichever : Member. is less, and have successful completed their Affairs B' probation period for promotion to the next Departmental Group **Confirmation Committee:**higher grade along with their juniors who have Director Grade II or Scientist 'D', already completed such qualifying National Test House : Chairman eligibility service. Scientist 'C' (Physical Rubber Note 2: For the purpose of computing Plastic Textile), National Test minimum qualifying service for promotion, : Member the service rendered on a regular basis by an House Officer Administrative officer prior to 1st January, 2016 (the date (Administration), National Test from which the revised pay structure based on : Member the Seventh Central Pay Commission House Deputy Secretary or recommendations has been extended) shall be Under Director, Department of Consumer deemed to be service rendered in the : Member. corresponding level in the pay matrix **Affairs** extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12)

Deputation (including short term contract) Officers under Central or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or

Autonomous **Bodies** or Statutory Organisations -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or

department; or

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible consideration for appointment by promotion. (The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

> [F. No. A-12018/07/2014-NTH] D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)